

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : 45

दिनांक : 29-1-21

कार्यालय आदेश

राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 31 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कोटा न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय के उपलब्ध स्थाई (Permanent) पद के परिप्रेक्ष्य में कोटा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित श्री राकेश सोलंकी आशुलिपिक ग्रेड प्रथम, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, हाल प्रतिनियुक्त न्यायालय विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी. टी. एक्ट प्रकरण) कोटा को, उनके द्वारा निर्धारित परीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिए जाने के उपरान्त, उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से, स्थाई (Confirm) किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	नियुक्ति तिथि	परीवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि	स्थाईकरण की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री राकेश सोलंकी	आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	10.12.1998	10.12.1999	10.12.1999

नोट : 1. कर्मचारी के स्थाईकरण का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जावे।
2. उक्त आदेश से कर्मचारियों की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

(4) 29/1/21
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : 1889-1893

दिनांक : 29-1-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायालय वि.अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा
2. श्री राकेश सोलंकी, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी
5. कार्यालय प्रति

(4) 29/1/21
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा